

उप
रूपनाक

16-2-22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील
उपस्थित। चूंकि मूल काद में निर्णय
व प्राथमिक डिब्बी पारित की जा चुकी
है, इस कारण पार्थिया का पार्थना-
पत्र सादर हीन लेने से खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फूंसल शुमार होकर
नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनाक (अचार्ज)

